

लोकपाल स्थापना दविस

प्रलिमिंस के लयि:

लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम, 2013, भ्रष्टाचार नविरण अधनियिम, 1988, केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC), भ्रष्टाचार के वरिद्ध संयुक्त राषट्र अभसिमय (UNCAC), केंद्रीय अनवेषण बयूरो (CBI), द्वतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोक लेखा समति (PAC), प्रवर्तन नदिशालय (ED)

मेन्स के लयि:

भ्रष्टाचार-रोधी ढाँचे में लोकपाल की भूमिका और महत्त्व, लोकपाल का सुदृढीकरण

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यो?

16 जनवरी 2025 को लोकपाल स्थापना दविस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) एन. संतोष हेगडे और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को सम्मानति कयि जाणा।

- लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम, 2013, 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ।

</div class="border-bg">

नोट: पहला लोकपाल दविस 16 जनवरी 2025 को दल्लि कैंट में मनाया जाणा, जसिमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) मुख्य अतिथि होंगे।

लोकपाल क्या है?


- परचिय:** लोकपाल एक स्वतंत्र सांवधिक नकिय है जसिकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम, 2013 के तहत सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने और लोक पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लयि की गई है।
 - वे "लोकपाल" का कार्य करते हैं और वशिष्ट लोक पदाधिकारियों के वरिद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जाँच करते हैं।
 - अधनियिम में राज्यों के लयि लोकायुक्त की स्थापना का भी प्रावधान कयि गया।
- उत्पत्त:** लोकपाल/लोकायुक्त की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों की लोकपाल प्रणाली से उत्पन्न हुई है।
 - भारत में, प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना की अनुशंसा की थी।
 - लोकपाल और लोकायुक्त अधनियिम, 2013 के अधनियिमति होने से पहले, कई राज्यों ने राज्य कानूनों के माध्यम से लोकायुक्त संस्था का गठन कर लयि था।
 - महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम था, जहाँ 1971 में लोकायुक्त नकिय की स्थापना की गई थी।
- वेतन और भत्ते:** अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं, जबकि सदस्यों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान लाभ मिलते हैं।
- लोकपाल की कार्यवाही:**
 - शिकायत मिलने पर, लोकपाल अपनी अनवेषण शाखा के माध्यम से प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकता है या मामलों को केंद्रीय अनवेषण बयूरो (CBI) या केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC) जैसे अभिकरणों को अग्रेषति कर सकता है।
 - CVC समूह A और B के अधिकारियों के संबंध में लोकपाल को रपिर्ट करता है, जबकयिह CVC अधनियिम, 2003 के तहत समूह C और D के संबंध में स्वतंत्र कार्रवाई करता है।

</div class="border-bg">

लोकायुक्त


- **परिचय:** यह भारत में एक राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार **वसिधी प्राधकिरण** है, जसि लोक सेवकों के खलिफ शकियतों और आरोपों की जाँच के लयि स्थापति कयि गयि है ।
- **नयुक्ति:** राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य वधिनसभा में वपिक्ष के नेता से परामर्श के बाद लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की नयुक्ति करति है ।
- **कार्यकाल:** अधकिंश राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उमर तक, जो भी पहले हो, नरिधारति है ।
 - पुनरनयुक्ति की अनुमति नहीं है ।
- **पदचयुति:** एक बार नयुक्ति होने के बाद लोकायुक्त को सरकार द्वारा बरखास्त या स्थानांतरति नहीं कयि जा सकता है तथा उसे केवल राज्य वधिनसभा द्वारा पारति महाभयिग परस्ताव के माध्यम से ही हटायि जा सकता है ।

//



लोकपाल

यह एक विधिक निकाय है, जो विशिष्ट लोक अधिकारियों और संबंधित मुद्दों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिये "लोकपाल" के रूप में कार्य करता है।



ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व

- वर्ष 1809: लोकपाल यानी Ombudsman संस्था की आधिकारिक शुरुआत स्वीडन में हुई।

भारत

- वर्ष 1963: लोकपाल का विचार पहली बार संसद में आया।
- वर्ष 1971: महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना।
- वर्ष 2011: लोकपाल के लिये अन्ना हज़ारे का आंदोलन।
- वर्ष 2013: लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पारित हुआ।
- वर्ष 2014: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लागू हुआ, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया।
- वर्ष 2019: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए।

विधिक प्रावधान: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013)

केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रयास

क्षेत्राधिकार

- इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और समूह A, B, C और D के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- सरकार द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थाएँ।
- FCRA के तहत विदेशी दान में सालाना 10 लाख रुपये से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएँ।

शक्ति

- सरकार या संबंधित प्राधिकारी के बजाय लोक सेवकों के अभियोजन को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार।
- लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिये CBI सहित किसी भी जाँच एजेंसी पर अर्धीक्षण और निर्देशन की शक्ति।
- इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी, भ्रष्ट तरीकों से अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं।

सज़ा

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सज़ा को बढ़ाने का प्रावधान है।

नियुक्ति

- चयन समिति के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, CJI या CJI द्वारा नामित मौजूदा उच्चतम न्यायालय के जज और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद्)।
- खोज समिति (Search Committee), चयन प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करती है।

संरचना

- अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, जिसमें
 - 50% न्यायिक सदस्य।
 - 50% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक एवं महिलाएँ।

कार्यकाल

- 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।



Drishti IAS

लोकपाल संस्था का क्या महत्त्व है?

- भ्रष्टाचार का मुकाबला: लोकपाल और लोकायुक्तों का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जाँच के लिये एक समर्पित

- मंच प्रदान करके प्रणालीगत भ्रष्टाचार को दूर करना है, जिससे भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके तथा नैतिक शासन को बढ़ावा मिले।
- जवाबदेही बढ़ाना: ये संस्थाएँ सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये ज़िम्मेदार ठहराकर जवाबदेही बढ़ाती हैं, जिससे सरकार में जनता का विश्वास बहाल करने में सहायता मिलती है।
- नागरिकों को सशक्त बनाना: यह अधिनियम नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है तथा उन्हें शक्तिशाली अधिकारियों द्वारा प्रतیشोध से सुरक्षा प्रदान करता है।
- सुशासन को बढ़ावा देना: लोकपाल और लोकायुक्तों द्वारा स्वतंत्र नगिरानी सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करती हैं और अधिकारियों को जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं।

</div class="border-bg">

अन्य देशों में समान वैश्विक प्रथाएँ

- लोकपाल (स्कैंडिनेवियाई देश): स्वतंत्र प्राधिकारी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करते हैं तथा नष्टिपक्ष व्यवहार और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- भ्रष्टाचार वरिधी आयोग (हॉन्गकॉन्ग, सगिापुर): ICAC (हॉन्गकॉन्ग) एवं CPIB (सगिापुर) जैसी एजेंसियाँ सार्वजनिक तथा नज्जी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जाँच और मुकदमा चलाती हैं।
- पब्लिक प्रोटेक्टर (दक्षिण अफ्रीका): सार्वजनिक अधिकारियों के कुप्रशासन और भ्रष्टाचार की जाँच करता है तथा उन्हें जवाबदेह ठहराता है।
- संघीय भ्रष्टाचार नरिोधक ब्यूरो (ब्राज़ील): उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भ्रष्टाचार जाँच की देखरेख करना।

लोकपाल से संबंधित सीमाएँ क्या हैं?

- शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि: लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कथित भ्रष्टाचार के 7 वर्ष के भीतर या जब शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी हो, तब दर्ज की जानी चाहिये।
 - इस समय-बद्ध प्रतबंध के कारण भ्रष्टाचार के पुराने मामले, विशेषकर वे मामले जो बहुत बाद में पता चले, छूट सकते हैं।
- झूठी शिकायतों के लिये कठोर दंड: झूठी शिकायतें दर्ज करने पर कठोर दंड का प्रावधान, उचित होने पर भी, व्यक्तियों को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित कर सकता है।
- स्वतंत्रता के मुद्दे: लोकपाल और लोकायुक्तों को अपनी स्वतंत्रता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी नष्टिपक्ष रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
- भ्रष्टाचार से नष्टिने में अप्रभावीता: वर्ष 2019-20 और 2023 के बीच, लोकपाल को 8,703 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5,981 का समाधान किया गया, जो भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से नष्टिने में इसकी अक्षमता को दर्शाता है।
 - हालाँकि, इसने भ्रष्टाचार के लिये किसी भी व्यक्ती के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं किया है, जैसा कि अप्रैल, 2023 की संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
- अपवाद: प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे इससे बाहर रखे गए हैं, जिससे संवेदनशील मामलों पर इसका अधिकार सीमित हो गया है।
- कोई नरिोधक तंत्र नहीं: लोकपाल की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिये कोई व्यापक तंत्र नहीं है, जिससे इसकी जवाबदेही को लेकर चर्चा उत्पन्न होती है।

आगे की राह:

- समीक्षा सीमा अवधि: वलिंबित मामलों को समायोजित करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिये शिकायत दर्ज करने की 7 वर्ष की अवधि को बढ़ाना या उसमें लचीलापन प्रदान करना।
- संतुलित दंड: दुरुपयोग को रोकने के लिये झूठी शिकायतों के लिये आनुपातिक दंड लागू तथा वैध शिकायतों को प्रोत्साहित करना।
- स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: राजनीतिक प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को मज़बूत, चयन प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा स्वायत्तता बनाए रखने के लिये संस्थागत समर्थन प्रदान करना।
 - सरकार को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सफ़ारिशों को लागू करना चाहिये, जो लोकपाल की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा इसकी समग्र परिचालन दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित है।
- अन्य एजेंसियों के साथ स्पष्ट संबंध: CBI पर लोकपाल की पर्यवेक्षी शक्तियों का स्पष्ट चर्चण, साथ ही प्रवर्तन नदिशालय और CVC जैसी एजेंसियों के साथ सुपरभिषति समन्वय तंत्र, क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों से बचने तथा अंतर-एजेंसी सहयोग को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: भारत को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCAC) के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष रूप से मज़बूत व्हसिलब्लोअर संरक्षण कानूनों वाले देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करना चाहिये।
- इससे नागरिकों को प्रतिशोध के भय के बिना भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहन मलिगा, जिससे भ्रष्टाचार वरिधी उपायों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

प्रश्न: भारत में भ्रष्टाचार से नष्टिने में लोकपाल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। इसके समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं तथा इसकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. भ्रषुटाचर के खलिफ संयुक्त ररषुटर कनुवेंशन (United Nations Convention against Corruption- UNCAC) में 'भूमि, समुदर और वरयुमरुग दवरर प्रवरसरथिों के तसुकरी के वरिुद्ध एक प्रुटोकॉल' हुतु है ।
2. UNCAC अब तक कल सडसे पहलल वधिति: डरधुकररी सररुवभूम भ्रषुटाचर-नरिधी लखिति है ।
3. ररषुटर पर संगठति अपररध के वरिुद्ध संयुक्त ररषुटर कनुवेंशन (United Nations Convention against Transnational Organized Crime- UNTOC) की एक वशिषिटतल ऐसे एक वशिषिट अधुयल कल समलवेशन है, जसिकल लकषुड उन संपतुतथिों कु उनके वैध सुवलमथिों कु लुुटलनल है, जनिसे उनहें अवैध तरीके से ले ली गई थी ।
4. मरदक दुरवुड और अपररध वषियक संयुक्त ररषुटर कररुवलड (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) संयुक्त ररषुटर के सदसुड ररकुथों दवरर UNCAC और UNTOC दुनों के कररुडलनुवडन में सहडुग करने के लडि अधदिशतल है ।

उपररुक्त कथनों में से कुन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उतुतर: (c)

??????:

प्रश्न. 'दुररनुसुडरेनुसी इनुटरनेशनल' के ईमरनदररी सुचकलंक में, डररत कलफी नीचे के डरडदलन पर है । संकुषेड में उन वधिकि, ररकुनीतकि, आरुथकि, सरमलकुतल तथल सरसुकृतकि कररुकों पर चरुचल कीजयि, जनिके कररण डररत में सररुवकुनकि नैतकितल कल हररस हुल है । (2016)

प्रश्न. 'ररषुटरीड लुकडलल कतलनल डी डुरडल कुथों न हु, सररुवकुनकि मरमलों में अनैतकितल की समसुडलओं कल समलधलन नही कर सकतल ।' वविकनल कीजयि । (2013)